राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–742 / 2023

श्रीमती आशा देवी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कम अति. निदेशक (प्रशा.) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्दरापुरा, झुन्झुनू जरिये प्रभारी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री निरंजन कटारिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रपुरा, झुन्झुनू से उपकेन्द्र, जानपालिया, बाडमेर में किया गया है।

4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जबकि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है और आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित कियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया गया है एवं पंचायती राज विभाग से सहमति प्राप्त नहीं

की गयी है। उक्त कारणों से आलोच्य आदेश अवैध एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि उसका स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में किया गया है।

इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 03.09.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। वर्तमान में राज्य सरकार मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प. 11(1)मम/2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का बंटवारा व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री के नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायतीराज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार स्वीकृति पंचायतीराज विभाग से लिये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबियार बनाम राजस्थान राज्य में भी यह माना है कि जहां विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, वह स्थानान्तरण आदेश उचित है। यह भी माना है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन सक्षम स्तर पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य बनाम रेखा कुमारी में भी मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रेखा कुमारी के मामले में कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि मंत्री से अनुमोदित होने का अंकन

आदेश में किया जावे, अपितु यह निर्णित किया है कि मंत्री से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी उचित है।

7. स्थानान्तरण के मामले में सक्षम स्तर मंत्री है और वर्तमान आदेश में सक्षम स्तर से अनुमोदन होना अंकित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत–ड में यह प्रावधान है कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किये जावे। उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत वर्तमान प्रकरण को देखे तो आलोच्य आदेश में यह अंकित है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ऐसे में यह अवधारणा की जा सकती कि, जो सक्षम स्तर से अनुमोदन किये जाने का इन्द्राज किया गया है वह मंत्री के स्तर पर अनुमोदन कराने के पश्चात् किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

8. आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि हो।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)